भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2304
(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

उत्तर प्रदेश और बिहार में सीएसआर

2304. श्री अरुण कुमार सागरः
श्री सुधाकर सिंहः
श्रीमती लवली आनंदः
श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान से लेकर आज की तिथि तक सरकार के विभिन्न उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत आवंटित की गई निधि का राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कितनी सीएसआर निधि व्यय की गई है और उपक्रम-वार/क्षेत्र-वार/शीर्ष-वार/स्थान-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार द्वारा देश के आकांक्षी, पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सीएसआर निधि खर्च करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बिहार के शिवहर जैसे आकांक्षी जिलों को इसमें शामिल किया गया है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार के सारण जिले में शुरू की गई प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं की सूची क्या है जिसमें किए गए कार्यों की प्रकृति और कार्यान्वयन करने वाली कॉरपोरेट संस्थाएं विनिर्दिष्ट हैं;
(ङ) देश भर में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर बिहार में, प्रति व्यक्ति सीएसआर फुटप्रिंट का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार में सीएसआर व्यय के संबंध में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं और सरकार या सुसंगत प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि, कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में किए गए वार्षिक विवरण के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, पीएसयू द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

2/.....जारी

(ख): किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष समुदाय बहुल क्षेत्रों पर किए गए सीएसआर व्यय का डाटा केंद्रीय स्तर पर संग्रहित नहीं किया जाता है।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनको क्रियान्वयन करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सरकार किसी भी कोरपोरेट को किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप या किसी विशेष समुदाय के लिए खर्च करने का कोई निदेश जारी नहीं करती है।

(घ): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से फाइल की गई जानकारी के आधार पर, बिहार के सारण जिले में पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक, विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(ङ): सीएसआर व्यय के प्रति व्यक्ति फुटप्रिंट से संबंधित आंकड़ों को केंद्रीकृति रूप से नहीं रखा जाता है।

(च): संबंधित कार्यालय, अर्थात् आरओसी बिहार के संज्ञान में ऐसी कोई अनियमितता या उल्लंघन नहीं आया है।

******

अनुलग्नक- I

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2304 भाग (क) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पीएसयू द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार	0.64	1.04	1.18
2.	आंध्र प्रदेश	52.34	52.32	62.41
3.	अरुणाचल प्रदेश	11.25	7.93	15.51
4.	असम	231.81	298.05	316.07
5.	बिहार	56.48	110.29	91.13
6.	चंडीगढ़	0.29	0.59	0.16
7.	छत्तीसगढ	166.01	161.24	109.91
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.63	1.42	6.10
9.	दिल्ली	353.33	448.95	683.27
10.	गोवा	4.22	4.75	19.83
11.	गुजरात	131.40	121.88	78.26
12.	हरियाणा	58.08	38.61	55.22
13.	हिमाचल प्रदेश	60.71	55.99	55.68
14.	जम्मू और कश्मीर	24.69	25.87	45.11
15.	झारखंड	67.45	114.81	142.32
16.	कर्नाटक	193.36	167.02	167.81
17.	केरल	38.51	54.47	48.57
18.	लक्षद्वीप	0.53	-	-
19.	लेह और लद्दाख	9.54	5.09	11.58
20.	मध्य प्रदेश	148.22	206.98	240.08
21.	महाराष्ट्र	324.86	308.71	401.57
22.	मणिपुर	8.97	12.93	9.44
23.	मेघालय	1.68	1.78	1.36
24.	मिजोरम	5.09	9.03	2.92
25.	नगालैंड	4.25	6.33	6.55
26.	ओडिशा	397.61	396.65	486.38
27.	पुदुचेरी	0.86	2.26	8.32
28.	पंजाब	7.08	12.59	12.88
29.	राजस्थान	52.25	58.14	49.56
30.	सिक्किम	18.77	23.70	24.72
31.	तमिलनाडु	74.65	102.65	173.74
32.	तेलंगाना	94.90	81.78	85.71
33.	त्रिपुरा	10.95	14.44	3.21
34.	उत्तर प्रदेश	213.91	229.93	349.34
35.	उत्तराखंड	84.49	116.03	144.15
36.	पश्चिम बंगाल	100.45	138.44	118.11
37.	अन्य केंद्रीकृत निधियाँ	869.43	403.58	319.98
38.	संपूर्ण भारतीय*	526.47	315.80	425.03
	कुल	4,407.17	4,112.08	4,773.17

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने एक से अधिक राज्य/संघ राज्य को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थी।

अनुलग्नक - II

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2304 भाग (घ) से संदर्भित
वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक बिहार के सरण जिला में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	सीएसआर विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1	शिक्षा	0.09	0.31	0.46
2	स्वास्थ्य सेवा	3.65	8.51	2.56
3	आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ	-	0.02	0.15
4	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	-	0.12	0.20
5	स्वच्छता	-	1.89	0.19
6	सामाजिक-आर्थिक समानताएँ	-	0.07	-
7	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	-	-	-
8	व्यावसायिक कौशल	-	-	-
9	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	-	-	-
कुल		3.75	10.92	3.57

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने उन क्षेत्रों का नाम नहीं दिया है जहां परियोजनाएं की गई थी।

*****